न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./13/2020/जैसलमेर

अपीलांट		**रेस्पोडेंटगण**
1. करणसिंह पुत्र भंवरसिंह	**बनाम**	1.श्रीमती मीरकंवर पत्नी स्व.खुशालसिंह
2. हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह		2.स्वरूपसिंह पुत्र खुशालसिंह
3. अभयसिंह पुत्र भंवरसिंह		3.देवीसिंह पुत्र खुशालसिंह
जाति राजपूत निवासी		4.अमरसिंह पुत्र खुशालसिंह
रामदेवरा तहसील पोकरण		5.सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह
जिला जैसलमेर		6.गिरधरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रामदेवरा तहसील पोकरण
		7.श्री तहसीलदार पोकरण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2020 बअनवान मीरकंवर वगै. बनाम करणसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.10.2020 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हाकमसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नाहरसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.01.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा खेत खसरा संख्या 12/151 रकबा 54.08 बीघा मौजा वीरमदेवरा तहसील पोकरण पेश किया। अपीलांटस के वकील श्री भैरूसिंह ने अपना वकालतनामा दिनांक 27.07.2020 को पेश किया पत्रावली आगे दिनांक 17.08.2020 को निश्चित की गई प्रतिवादी उतरदाता संख्या 05 व 06 बाबत् कोई आदेश नहीं दिया। दिनांक 28.08.2020 को जवाबदावा हेतुसमय चाहा गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय नहीं देकर जवाबदावा का अवसर बंद कर उसी रोज प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबवादावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक के न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को जबावदावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को लंबा करने की नीयत से जानबूझकर जबावदावा पेश नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने वक्त बहस सहमति जाहिर की कि अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पर उभयपक्ष को कोई आपति नहीं है तथा अपीलांटगण को सुनवाई का मौका देते हुए अपीलांट को पूर्व सूचना मौके पर उपस्थित होकर अपीलाधीन आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावे। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2020 बअनवान मीरकंवर वगै. बनाम करणसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.10.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को यथावत रखते हुए **अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते** हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 की पालना में उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्ड तैयार प्रस्तुत करें तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

6/1/2021
(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/1/2021
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर